दिनांक 07.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 246/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा नगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 07.05.2026 को थाना अमरोहा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त आसिफ सैफी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अमरोहा नगर से संबंधित अभियोग में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत स्थाई वारंट में वांछित चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इस सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आसिफ सैफी निवासी चौक मकसूद अली निकट वागपत रोड देहली गेट, मेरठ।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **भारी मात्रा में चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी की 01 लाइसेन्सी पिस्टल, 09 जीवित कारतूस 7.62 बोर मय शस्त्र लाइसेन्स**
- **14 लाख 85 हजार रूपये नगद**
- **07 मोबाइल फोन**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 07.05.2026 को थाना कोतवाली नगर, स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1—आकर्ष उर्फ यश 2—ऋत्विक

3–अनुराग उर्फ अरमान 4–ऋषि कुमार उर्फ चन्दन 5–पृथ्वी प्रताप उर्फ ओम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी की 01 लाइसेन्सी पिस्टल, 09 जीवित कारतूस मय शस्त्र लाइसेन्स, 14 लाख 85 हजार रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, 01 कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, पिस्टल, रूपये आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकर्ष उर्फ यश निवासी शालीमार पैराडाइज जनपद बाराबंकी, मूलपता–आलोपी बाग थाना दारागंज, प्रयागराज।

2–ऋत्विक निवासी मोहलेनगर अल्लापुर थाना जार्जटाउन, प्रयागराज।

3–अनुराग उर्फ अरमान निवासी सरस्वती सेक्टर त्रिवेणीपुरम थाना झूंसी, प्रयागराज।

4–ऋषि कुमार उर्फ चन्दन निवासी चकबताशा मंडी थाना कोतवाली, प्रयागराज।

5–पृथ्वी प्रताप उर्फ ओम निवासी विशुनपुरा अहरौला थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी की 01 लाइसेन्सी पिस्टल, 09 जीवित कारतूस मय शस्त्र लाइसेन्स।

3–14 लाख 85 हजार रूपये नगद।

4–07 मोबाइल फोन।

5–01 कार आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना सिविल लाइन

- **अवैध शस्त्र की तस्करी कर रहे 12 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 अवैध पिस्टल, 04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **16 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **10 मोबाइल फोन**
- **01 स्विफ्ट कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06/07.05.2026 की रात्रि थाना सिविल लाइन, थाना क्वार्सी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पंजीपुर रोड़ स्थित खण्डहर पड़े किले से अवैध शस्त्र की तस्करी कर रहे 12 अभियुक्तों 1–अहमद चिंगारी 2–शहवान खान 3–हाजी कासिफ 4–कासिम 5–मोहम्मद कासिफ 6–असद उर्फ चेतन 7–मोहम्मद जुनैद 8–मो0 अरसलान 9–कामरान 10–प्रमोद 11–सौरभ 12–प्रियेन्द्र प्रताप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 अवैध पिस्टल, 04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 16 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 10 मोबाइल फोन, 01 स्विफ्ट कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अहमद चिंगारी के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त कामरान, प्रमोद व प्रियेन्द्र प्रताप के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अहमद चिंगारी निवासी अल्पाइन अपार्टमेन्ट वाली गली टीचर्स कालोनी रठगाँव रोड एफ0एम0 टावर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

2–शहवान खान निवासी 22 इस्लाम गंज स्टेशन रोड थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

3–हाजी कासिफ निवासी ऊपरकोट थाना कोतवाली नगर जनपद अलीगढ़।

4—कासिम निवासी जमालपुर गुलजार गली थाना सिविल लाइन अलीगढ़।

5—मोहम्मद कासिफ निवासी उमर मस्जिद के पीछे नाला रोड जमालपुर थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़।

6—असद उर्फ चेतन निवासी फ्लैट नं0—102 क्लासिक अपार्टमेन्ट टीचर्स कालोनी रठगाँव रोड एफएम टावर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

7—मोहम्मद जुनैद निवासी गली नं0—2 मौलाना आजाद नगर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

8—मो0 अरसलान नि0 गली नं0 7 नगला पटवारी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

9—कामरान निवासी शाहजमाल थाना रोरावर जनपद अलीगढ़।

10—प्रमोद निवासी सरकारी स्कूल के पास कस्बा व थाना लोधा जनपद अलीगढ़।

11—सौरभ निवासी सेक्टर 22, रोहिणी दिल्ली।

12—प्रियेन्द्र प्रताप निवासी खैर बाईपास थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—06 अवैध पिस्टल, 04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—16 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—10 मोबाइल फोन।

4—01 स्विफ्ट कार, 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस—01

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 17 दो पहिया वाहन**
- **08 चोरी/स्नेचिंग की मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 07.05.2026 को थाना फेस—01 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफ—95 सेक्टर—8 के पास से 03 अभियुक्तों 1—सूरज उर्फ चीढ़ा 2—अनिल कुमार उर्फ गोलू 3—सुशील उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 17 दो पहिया वाहन, 08 चोरी/स्नेचिंग की मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सूरज उर्फ चीढ़ा के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 30 अभियोग, अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ गोलू के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग व अभियुक्त सुशील उर्फ बाबा के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आबकारी एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–01 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूरज उर्फ चीढ़ा निवासी छिजारसी थाना सेक्टर–63, गौतमबुद्धनगर।

2–अनिल कुमार उर्फ गोलू निवासी छिजारसी थाना सेक्टर–63, गौतमबुद्धनगर।

3–सुशील उर्फ बाबा निवासी छिजारसी थाना सेक्टर–63, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 17 दो पहिया वाहन।

2–08 चोरी/स्नेचिंग की मोबाइल फोन आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 640 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 06/07.05.2026 की रात्रि थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोरम गेट के पास से अभियुक्त माधव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 640 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–माधव निवासी ग्राम सारण जनपद चित्तौडगढ़ राजस्थान।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 640 ग्राम अवैध अफीम।

- **<u>जनपद औरैया/थाना दिबियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 व 376(3) भादवि सपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त छोटू उर्फ अरूण कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना बिंवार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना बिंवार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शिवपूजन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————